

**कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर**

आदेश

निम्नलिखित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर नान के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक तथा वर्तमान प्रदत्तस्थान स्थान (राजस्थान)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	शुभा लाल शर्मा, गंगारडू, उदयपुर-4	01.04.1956	31.03.2016
2	पुष्पा शर्मा, भण्डारज - दीसा	17.06.1956	30.06.2016
3	मोहन लाल, ब्रीमडी - उदयपुर	12.06.1956	30.06.2016
4	सुमन मीणा, रा. झोटवाड़ा - जयपुर	01.07.1956	30.06.2016
5	छोगालाल मेनारिया, रूपडेडा - उदयपुर	07.07.1956	31.07.2016

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-15 के अधीन कोई विभागीय जांच विचारधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचारधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचारधीन/लम्बित नहीं है।

  
(डी.एन. स्वर्णकार)  
सहायक


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 13/6/2016

क्रमांक-शिक्षा/मा/संस्था/सी-7/19908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2015-16

प्रतिष्ठा सूचना और आवश्यक कार्यवाई के लिए निम्नलिखित को अवगत -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबंधित शाला-संस्था प्रधान/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (आर्थिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर